न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह पुरोहित (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 127 सन 2019
अनवान :–

1. कुलदीप 2. प्रदीप कुमार पि० हनुमान जाति जाट निवासी ढण्ढेला नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. हनुमान पि०मु० फुसाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री माडुराम सहारण अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 6/9/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या ढण्ढेला के खाता संख्या 142/139 के खसरा न0 179/11.6090 ,213/7.2340 ,266/2.8460 ,267/3.0220 ,287/16.2630हैक्ट कुल 40.9740हैक्ट भूमि में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 608 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पडदादा/दादा शेराराम व फुसारम पुत्र शेराराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पडदादा/ दादा शेराराम व फुसारम पुत्र शेराराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनकें पुत्रो के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के पडदादा/दादा शेराराम व फुसारम पुत्र शेराराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके दादा/पिता शेराराम , फुसाराम पुत्र शेराराम के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या ढण्ढेला के खाता संख्या 142/139 के खसरा न0 179/11.6090 ,213/7.2340 ,266/2.8460 ,267/3.0220

Scanned with CamScanner

,287/16.2630हैक्ट कुल 40.9740हैक्ट भूमि में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 608 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पडदादा/दादा शेराराम व फुसारम पुत्र शेराराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पडदादा/ दादा शेराराम व फुसारम पुत्र शेराराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रो के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के पडदादा/दादा शेराराम व फुसारम पुत्र शेराराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या ढण्ढेला के खाता संख्या 142/139 के खसरा न0 179/11.6090 ,213/7.2340 ,266/2.8460 ,267/3.0220 ,287/16.2630हैक्ट कुल 40.9740हैक्ट भूमि में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 608 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रस्तुत खतौनी निर्धारण जमाबन्दी के अनुसार पूर्व में वाद भूमि वादी के पडदादा /दादा शेराराम , फुसाराम पुत्र शेराराम के नाम से दर्ज थी वादी के पडदादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के दादा/पिता शेराराम , फुसाराम पुत्र शेराराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या– 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण का पिता है ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया गया की वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है ।

इसप्रकार वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या ढण्ढेला के खाता संख्या 142/139 के खसरा न0 179/11.6090 ,213/7.2340 ,266/2.8460 ,267/3.0220 ,287/16.2630हैक्ट कुल 40.9740हैक्ट भूमि में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 608 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06/09/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुरेन्द्र सिह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. कुलदीप 2. प्रदीप कुमार पि0 हनुमान जाति जाट निवासी ढण्ढेला नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 हनुमान पि0मु0 फुसाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 127 सन 2019 निर्णय दिनांक– 06/09/2019

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या ढण्ढेला के खाता संख्या 142/139 के खसरा न0 179/11.6090 ,213/7.2340 ,266/2.8460 ,267/3.0220 ,287/16.2630हैक्ट कुल 40.9740हैक्ट भूमि में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 608 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिव के खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 6/9/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

संशोधित पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. कुलदीप 2. प्रदीप कुमार 3. अनीता पुत्री हनुमान पि0 हनुमान जाति जाट निवासी ढण्ढेला नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 हनुमान पि0मु0 फुसाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 127 सन 2019 निर्णय दिनांक– 06.09.2019

आज यह प्रार्थना पत्र 151– 152 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या ढण्ढेला के खाता संख्या 142/139 के खसरा न0 179/11. 6090 ,213/7.2340 ,266/2.8460 ,267/3.0220 ,287/16.2630हैक कुल 40.9740हैक भूमि में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 608 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/12/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner